अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 625 सन् 2010

जगनारायण शर्मा.....वादी

बनाम

बिन्देश्वरी शर्मा व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–
18.10.2019

उभय पक्षों की पैरवी की गई। अभिलेख को वादी के आवेदन दिनांक 02.11.2018 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**आदेश**

वादी द्वारा अपने आवेदन में यह कहा गया है कि उपर्युक्त वाद वादी के गवाही में चल रही है, लेकिन प्रतिवादी सं0 1 बिन्देश्वरी शर्मा ने अपने बयान तहरीरी के कंडिका 9,10 एवं 12 में जिन कागजातों का जिक्र किया है उसकी प्रति आज तक उन्होंने अभिलेख पर दाखिल नहीं किया है एवं इस संबंध में वादी द्वारा पूर्व में भी एक आवेदन दिया गया था, किंतु न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2017 में यह कहा गया था कि वादी का आवेदन अस्पष्ट हैं इसी आधार पर वादी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। अतः वादी पुनः आवेदन दाखिल कर रहा है।

दूसरी तरफ प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि वादी ने जो आवेदन दिनांक 02.11.2018 को आदेश 11 नियम 15

एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया है वह कानूनन पोषणीय नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपने बयान तहरीरी के पैरा 9,10 एवं 12 में ऐसी कोई बात नहीं कही है जो तथ्य से परे हैं। एवं केवल वाद को लंबित रखने के ख्याल से वादी द्वारा यह आवेदन दिया गया है, क्योंकि वादी के ओर से पूर्व में चार साक्षियों का साक्ष्य कराया जा चुका है एवं उनका साक्ष्य बंद कर दिया गया है एवं पुनः न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2017 को वादी का साक्ष्य रिकॉल किया गया, किंतु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं इसी बीच प्रतिवादी सं0 2 की मृत्यु हो गई।

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आगे यह कहा गया है कि उन्होंने अपने वंशावली एवं ब्यान तहरीरी की पैरा 9,10 एवं 12 में अंकित बातों की पुष्टि के लिए न्यायालय में दिनांक 09.11.2016 को कागजात दाखिल कर दिया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, प्रस्तुत आवेदन में वादी का कहना है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने बयान तहरीरी की कंडिका 9,10 एवं 12 में अपने दस्तावेजों का जिक्र किया है उसे अभिलेख पर लाना आवश्यक है एवं दूसरी ओर प्रतिवादी सं0 1 ने भी यह स्वीकार किया है कि उसने अपने बयान तहरीरी के पैरा 9,10 एवं 12 में जिन अभिलेखों का जिक्र किया है उन कागजातों का कॉपी दाखिल कर दिया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि उन्हें अपने बयान तहरीरी की

कंडिका 9,10 एवं 12 में जिन दस्तावेजों का जिक्र किया है उसे उसकी मूल प्रति दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध करवाये, ताकि वाद की कार्यवाही आगे बढ़ सके।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22.11.2019

सब जज
सोनपुर सारण।